

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3 Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 259] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 13, 1979/श्रावण 22, 1901
No. 259] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 13, 1979/SRAVANA 22, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1979

सा. का. नि. 486(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962
(1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है,
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 66-सीमा-

शुल्क, तारीख, 15 मार्च, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है,
अर्थात् :—

“उक्त अधिनियम में पैरा 2 में, “31 अगस्त, 1979” अंक और शब्द
के स्थान पर “31 मार्च, 1980” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[संख्या 178/ता. सं. 355 /130/79-पी. शु. 1]

के. चन्द्रमौली, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 13th August, 1979

G.S.R. 486(E). In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 66-Customs, dated 15th March, 1979, namely :—

In the said notification, in paragraph 2, for the figures, letters and words “31st August, 1979” the figures, letters and word “31st March, 1980” shall be substituted.

[No. 178/F. No. 355/130/79-Cus. I]

K. CHANDRAMOULI, Under Secy.